राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट–बडौद

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 125/2016
दायरा तिथि : 29.07.2016
निर्णय तिथि : 15.05.2017

वादीगणः–

1. भोलाराम पुत्र स्व. लालाजी
2. स्व. अमरा पुत्र चिमनाजी के का.मु.
   2/1 पकाराम पुत्र अमरा
   2/2 बदाराम पुत्र अमरा
   2/3 हंजा पत्नि अमरा
   2/4 कन्या पुत्री अमरा
   2/5 अमरा पुत्री अमरा
   2/6 सुखी पुत्री अमरा
3. मृतक नथा पुत्र चिमनाजी के वारिसान :–
   3/1 हिराराम पुत्र नथाराम
   3/2 रूपाराम पुत्र नथाराम
   3/3 लकाराम पुत्र नथाराम
   3/4 मगनी पुत्री नथाराम
   3/ मानी पुत्री नथाराम
4. वरदाराम पुत्र स्व. चेनाजी
5. मनाराम पुत्र स्व. चेनाजी
6. पोनकी पुत्री चेनाजी
7. केसरी पुत्री स्व. चेनाजी
8. टीपू पुत्री स्व. चेनाजी
   जातिगण सिरवी (चौधरी) निवासीगण बडौद
   तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. छगनदास पुत्र स्व. चुन्नीलाल
2. नेनदास पुत्र स्व. चुन्नीलाल
3. सोहनदास पुत्र स्व. चुन्नीलाल
   जातिगण साद निवासीगण बडौद, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
4. नाजू देवी पत्नि पीथाराम
5. शेषाराम पुत्र वरदाजी
   जातिगण सिरवी (चौधरी) निवासीगण बडौद तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी

पेज लगातार–2

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट देसूरी (पाली) राज.

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

राजस्व वाद संख्या 125/2016 अनवान भोलाराम वगैरा बनाम छगनदास वगैरा
अंतर्गत धरा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: निर्णय :

दिनांक : 15.05.2017

दावा बाबत 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली न्याय आपके द्वार, 2017 शिविर बडौद मे प्रस्तुत हुई। वादी व प्रतिवादी पक्षकारान् उपस्थित। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बडौद मे स्थित वादग्रस्त भूमि गत ख.न. 96/2 रकबा 25 बीघा जिसके वर्तमान भू.प्रबन्ध में नये खसरा संख्या 307 रकबा 2.02 हैक्टर, ख.न 341 रकबा 0.26 हैक्टर, ख.न. 342 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.न. 343 रकबा 0.65 हैक्टर, ख.न. 344 रकबा 0.37 हैक्टर, ख.न 347 रकबा 0.38 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.95 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वर्तमान रेकर्ड मे 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 के स्व. पिता चुन्नीलाल पुत्र मोडीराम जाति साद निवासी बडौद के द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.06.85 को गत ख.न. 96/2 रकबा 25 बीघा मे धारित 1/6 हिस्सा वादीगण के स्व. पिता/पति लाला, अमरा, नाथा व चेना को विक्रय की गई थी। उक्त विक्रय का नामान्तरकरण बन्दोबस्त कार्यवाही जारी होने के कारण नही होने से तथा नवीन रेकर्ड प्राप्त होने के बाद विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता चुन्नीलाल का स्वर्गवास हो जाने से नवीन रेकर्ड मे उक्त 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 के नाम बतौर खातेदारी दर्ज हुआ। वर्तमान रेकर्ड मे उक्त 1/6 हिस्सा वादीगण के नाम माफिक पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.06.85 बतौर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 ने वादपत्र के तथ्यो को स्वीकार किया एवं माफिक पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक वादग्रस्त भूमि मे धारित 1/6 हिस्सा वादीगण के नाम खातेदारी घोषणा के लिये सहमति दी गई। ऐसी स्थिति वाद वादीगण परस्पर सहमति से डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा बडौद तह. देसूरी मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ख.न. 307 रकबा 2.02 हैक्टर, ख.न 341 रकबा 0.26 हैक्टर, ख.न. 342 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.न. 343 रकबा 0.65 हैक्टर, ख.न. 344 रकबा 0.37 हैक्टर, ख.न 347 रकबा 0.38 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.95 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्थान पर वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादी 1 लगाय 3 का नाम विलोपित कर वादीगण 1 लगाय 8 का नाम 1/6 हिस्सा का बतौर खातेदार दर्ज किये जावे। राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज के लिये तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का बडौद को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति पालनार्थ भिजवायी जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **15.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक 15.05.2017

क्रमॉक/केम्प कोर्ट/2017/34+35
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :–

1. तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी हल्का, बडौद

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–बडौद

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बडौद

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादीगणः–

1. भोलाराम पुत्र स्व. लालाजी
2. स्व. अमरा पुत्र चिमनाजी के का.मु.
   2/1 पकाराम पुत्र अमरा
   2/2 बदाराम पुत्र अमरा
   2/3 हंजा पत्नि अमरा
   2/4 कन्या पुत्री अमरा
   2/5 अमरा पुत्री अमरा
   2/6 सुखी पुत्री अमरा
3. मृतक नथा पुत्र चिमनाजी के वारिसान :–
   3/1 हिराराम पुत्र नथाराम
   3/2 रूपाराम पुत्र नथाराम
   3/3 लकाराम पुत्र नथाराम
   3/4 मगनी पुत्री नथाराम
   3/ मानी पुत्री नथाराम
4. वरदाराम पुत्र स्व. चेनाजी
5. मनाराम पुत्र स्व. चेनाजी
6. पोनकी पुत्री चेनाजी
7. केसरी पुत्री स्व. चेनाजी
8. टीपू पुत्री स्व. चेनाजी
   जातिगण सिरवी (चौधरी) निवासीगण बडौद
   तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

दावा बाबत **88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **125/2016**
निर्णय दिनांक :– **15.05.2017**

वादी की ओर से **वादी उपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादीगण** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **15.05.2017** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा बडौद तह. देसूरी मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ख.न. 307 रकबा 2.02 हैक्टर, ख.न 341 रकबा 0.26 हैक्टर, ख.न. 342 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.न. 343 रकबा 0.65 हैक्टर, ख.न. 344 रकबा 0.37 हैक्टर, ख.न 347 रकबा 0.38 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.95 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्थान पर वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादी 1 लगाय 3 का नाम विलोपित कर वादीगण 1 लगाय 8 का नाम 1/6 हिस्सा का बतौर खातेदार दर्ज किये जावे। राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज के लिये तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का बडौद को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति पालनार्थ भिजवायी जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक **15.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–बडौद

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर देसूरी (पाली) राज.